Claims of refugees from East Pakistan

1555. SHRI ASHWANI KUMAR:
SHRI S. W. DHABE:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the number of refugees from erstwhile East Pakistan who have submitted claims for their properties left there;

(b) how many of these claims have been verified by Government;

(c) what is the total amount of these claims; and

(d) whether any of them has been paid any compensation till date, if so, the amounts so paid, the number of claimants who received it and the percentage paid to them?

THE MINISTER OF COMMERCE AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) to (d) Ministry of Commerce administers payment of ex-gratia grant to Indian nationals|compaines whose assets were seized by the Government of Pakistan during Indo-Pak conflict of 1965 and who registered their claims with the Custodian of Enemy Property within the stipulated date *i.e.* 31.7.1977. The relief is given in the form of ex-gratia grant from the Consolidated Fund of India at the rate of 25 per cent of the verified value of claims.

57,493 claims were registered with the Custodian of Enemy Property, out of which 14,603 claims cases remain to be processed. 18,231 claim cases have so far been settled. 21,820 claimants have filed incomplete claim applications and hence they have been treated as dormant. In 2839 cases no documents had been submitted by the claimants and they have been rejected and treated as closed. Upto December, 1985, an amount of Rs. 57.72 crores has been disbursed.

पर्यटन विभाग द्वारा चलाये जा रहे होटलों की अधिभोग दर

1556. श्री अश्विनी कुमार :
श्री कैलाशपति मिश्र :

क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों में स्थित पर्यटन विभाग के प्रत्येक होटल की क्षमता कितनी-कितनी हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक होटल की अधिभोग दर कितनी-कितनी रही है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ होटलों में कमरे पूरे नहीं भर पाते हैं अथवा उनकी अधिभोग दर में गिरावट आयी है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ होटलों ने अपनी रूम आकुपेन्सी में निम्नलिखित कारणों से गिरावट दर्शाई है :—

(i) पर्यटक यातायात में कमी

(ii) कुछ इलाकों में होटल आवास का अतिरिक्त हो जाना।

(iii) कुछ होटलों का विस्तार/नवीकरण।

वर्ष 1985–86 में स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम की यूनिटों में पिछले तीन वर्षों (1982-83, 1983-84 और 1984-85) और चालू वर्ष में फरवरी—1986 तक की आकूपैंसी दर

क्रम सं0	होटल का नाम	28-2-86 को क्षमता	82-83	83-84	84-85	85-86 (फरवरी 86 तक)
1	अशोक होटल, नई दिल्ली	576	50	43	47	55
2	होटल अशोक, बंगलौर	184	50	50	36	45
3	अकबर होटल, नई दिल्ली	318	69	44	34	66
4	कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट	126	42	40	43	47
5	कुतब होटल, नई दिल्ली	94	74	54	57	83
6	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	54	44	39	47	49
7	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	148	53	50	54	56
8	होटल सम्राट, नई दिल्ली	264	41	32	43	79
9	जनपथ होटल, नई दिल्ली	212	92	86	79	81
10	होटल वाराणसी अशोक	84	28	38	33	30
11	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	63	50	43	47	51
12	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	318	54	56	45	55
13	लोधी होटल, नई दिल्ली	207	83	66	65	66
14	रणजीत होटल, नई दिल्ली	188	82	55	59	58
15	होटल हसन अशोक, हसन	46	52	37	31	28
16	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	34	73	72	63	68
17	टैम्पल वे अलोक बीच रिसॉर्ट, मामल्लापुरम	20	42	34	43	52
18	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	33	79	72	46	30
19	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	43	32	30	30	35
20	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	48	32	30	24	45
21	होटल औरंगाबाद अशोक	65	36	37	43	50
22	होटल खजुराहो अशोक	46	28	23	23	25
23	होटल पाटली पुत्र अशोक, पटना	54	44	39	40	47
24	अशोक यात्री निवास	547	50	88	66	70